# प्रारुप–6
## प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक ***18–12–14*** को ***निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला*** (एजेन्सी का नाम) के द्वारा ***मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग क कि0मी0 8*** से ***कुनारा*** तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ***के0पी0वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग पुरोला*** राजस्व विभाग की ओर से श्री ***जयप्रकाश शाह, राजस्व उपनिरीक्षक, गुराड़ी, मोरी*** प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ***आर0एस0पंवार, सहायक अभियंता,*** अन्य दावेदारों की ओर से श्री ***शीषपाल सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कुनारा*** तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्रीमती ***लायबरी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत कुनारा*** के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें ***725.00*** (मी0) नाप भूमि.से, ***1125.00*** (मी0) सिविल भूमि से, – (मी0) वन पंचायत से, ***1650.00*** (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल ***0.6525*** हे0 नाप भूमि, ***1.0125*** हे0 सिविल भूमि, – हे0वन पंचायत भूमि ***1.4850*** हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.32 हे0 सिविल भूमि मक डिस्पोजल हेतु आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल ***2.8175*** हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग ***457*** वृक्ष ***चीड़, कुकाट, कैल,*** प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से ***0*** बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें ***950.00***(मी0) नाप भूमि.से, ***1330.00***(मी0) सिविल भूमि से, ***शून्य*** (मी0) वन पंचायत से, ***1520.00*** (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल ***0.855*** हे0 नाप भूमि, ***1.597*** हे0 सिविल भूमि ***शून्य*** हे0 वन पंचायत भूमि ***1.368*** हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल ***2.965*** हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 520 वृक्ष ***विभिन्न*** प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन ***02*** कक्षो से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन ***सामान्य*** है एवं इन कक्षों में ***विभिन्न*** प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ***0.653 है0*** पर ***शून्य*** प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर ***चीड़*** प्रजाति के वन है जिनका वर्तमान वन आच्छादन ***0.8*** है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°05'25.82"E 31°02'30.29"N है तथा यह स्थल मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कुनारा है जिसका GPS मान 78°06'3.83"E 31°01'29.60"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 78°05'15.27"E 31°2'15.96"N हैं।

चयनित समरेखन में कुल ***शून्य*** पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्क होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।
इस समरेखण पर ***मोटर मार्ग निर्माण*** के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु ***03*** स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78°05'20.52"E 31°2'27.72"N एवं 78°05'15.27"E 30°2'15.96"N, 78°06'2.10"E 31°1'30.13"N, हैं।

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

अन्य आवश्यक विवरण :– उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों एवं क्षेत्र के श्रद्धालुओं को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कमले वर महादेव मन्दिर तक पहुँचने में सुविधा होगी तथा साथ ही क्षेत्र में पर्यटन का भी विकास होगा तथा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (आर0एस0पंवार)<br>सहायक अभियंता<br>नि0ख0, लो0नि0वि0,<br>पुरोला (उत्तरकाशी)<br>(प्रयोक्ता एजेन्सी) | ( )<br>उपप्रभागीय वनाधिकारी<br>(सिंगतूर) टौंस वन<br>प्रभाग पुरोला<br>(वन विभाग) | ( )<br>उपराजस्व निरीक्षक,<br>गुराड़ी<br>(राजस्व विभाग) | (शीषपाल सिंह)<br>सामाजिक कार्यकर्ता<br>पुरोला<br>(अन्य दावेदार) | (लायबरी देवी)<br>प्रधान ग्रामपंचायत<br>कुपिड़या पुरोला<br>विकास खण्ड मोरी उत्तरकाशी<br>(जन प्रतिनिधि) |

नोट– इस रिपोट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

तहसीलदार
मोरी
जिला-उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जिला० उत्तरकाशी

## प्रारुप–7

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Construction Division, P.W.D. Purola for diversion under FCA-1980) of **2.8175** ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Construction of Miyagad Kunara Motor Road un block Mori, District Uttarkashi. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated .....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **2.8175** ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. recommended for sanction

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवष्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:- Purola

Name - R.P. Mishra

Date.....
Designation : D.C.F.

Office Seal .....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.